संख्या-178 /2025/1714/26-3-2025-1353690

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक :27 नवम्बर 2025

विषय - **चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के संचालन हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष चतुर्थ/अवशेष किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-4507-08/स0क0/ए0टी0एस0/बजट स्वीकृति/अनुसं0-83/2025-26 दिनांक 24-10-2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 लेखाशीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 38569.67 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 9642.41000 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-99/2025/1059/26-3-2025- 1353690, दिनांक 24.04.2025 द्वारा जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि रू0 38569.67 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 9642.41750 लाख, शासनादेश संख्या0-127/2025/1714/26-3-2025-1353690, दिनांक 10-07-2025 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 9642.41750 तथा शासनादेश संख्या-154/2025/1714/26-3-2025-1353690, दिनांक 22-09-2025 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 9642.41750 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 लेखाशीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 38569.67 लाख के सापेक्ष चतुर्थ/अवशेष किश्त के रूप में रू0 9642.41750 लाख **(रू0 छियान्वे करोड़ बयालीस लाख इकतालीस हजार सात सौ पचास मात्र)** निम्नवत् तालिका में अंकित विवरण के अनुसार अग्रलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये में)

क्र0सं0	लेखाशीर्ष: 2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय) मानक मद	कुल प्राविधानित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-25 में प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की गयी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 में द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत की गयी धनराशि धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 में तृतीय किश्त के रूप में निर्गत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 में चतुर्थ/ अवशेष किश्त के रूप में निर्गत धनराशि
1	01 (वेतन)	220000000	5,50,00,000	5,50,00,000	5,50,00,000	5,50,00,000
2	02	45000000	1,12,50,000	1,12,50,000	1,12,50,000	1,12,50,000

	(मजदूरी)					
3	03 (मंहगाई भत्ता)	132000000	3,30,00,000	3,30,00,000	3,30,00,000	3,30,00,000
4	04 (यात्रा व्यय)	429000	1,07,250	1,07,250	1,07,250	1,07,250
5	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	173000	43,250	43,250	43,250	43,250
6	06 (अन्य भत्ते)	100000	25,000	25,000	25,000	25,000
7	07 (मानदेय)	100000	25,000	25,000	25,000	25,000
8	08 (कार्यालय व्यय)	9400000	23,50,000	23,50,000	23,50,000	23,50,000
9	09 (विद्युत देय)	90000000	2,25,00,000	2,25,00,000	2,25,00,000	2,25,00,000
10	10 (जलकर / जल प्रभार)	1000000	2,50,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000
11	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	1300000	3,25,000	3,25,000	3,25,000	3,25,000
12	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	9900000	24,75,000	24,75,000	24,75,000	24,75,000
13	13 (टेलीफोन पर व्यय)	200000	50,000	50,000	50,000	50,000
14	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओ के लिए भुगतान)	200000	50,000	50,000	50,000	50,000
15	17 (किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व)	100000	25,000	25,000	25,000	25,000
16	19	1000000	2,50,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000

	(विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय)					
	29 (अनुरक्षण)	120000000	3,00,00,000	3,00,00,000	3,00,00,000	3,00,00,000
17	39 (औषधि तथा रसायन)	14000000	35,00,000	35,00,000	35,00,000	35,00,000
18	41 (भोजन व्यय)	1368000000	34,20,00,000	34,20,00,000	34,20,00,000	34,20,00,000
19	42 (अन्य व्यय)	35000000	87,50,000	87,50,000	87,50,000	87,50,000
20	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	400000000	10,00,00,000	10,00,00,000	10,00,00,000	10,00,00,000
21	45 (अवकाश यात्रा व्यय)	145000	36,250	36,250	36,250	36,250
22	47 (कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय)	2200000	5,50,000	5,50,000	5,50,000	5,50,000
23	49 (चिकित्सा व्यय)	1200000	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000
24	51 (वर्दी व्यय)	500000	1,25,000	1,25,000	1,25,000	1,25,000
25	55 (मकान किराया भत्ता)	5020000	12,55,000	12,55,000	12,55,000	12,55,000
26	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	1400000000	35,00,00,000	35,00,00,000	35,00,00,000	35,00,00,000
		3,85,69,67,000	**96,42,41,750**	**96,42,41,750**	**96,42,41,750**	**96,42,41,750**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2025-26 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही

किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352 /दस-2025-231/2025 दिनाँक 27-03-2025, में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352 / दस-2025-231/2025 दिनाँक 27-03-2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by
RAJANI KANT PANDEY
Date: 27-11-2025
14:28:41

भवदीय,
(रजनी कान्त पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।